बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27.4.18	.... पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल.....तूंगा मे दिनांक 10.5.18 को पेश हो।
नि. रामप्यारी नि. गंगु काजोड़	10.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट तूंगा में पेश हुई। वादी सं 2 व 3 एवं प्रतिवादी स. 1 उपस्थित हैं। जिनकी पहिचान सरपंच तूंगा ने की हैं। वादी व प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तखेजात का अवलोकन करने तथा तहसीलदार बस्सी से कैम्प स्थल पर रिकार्ड का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.न. 730, 735, 726, 729 स्थित ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के रिकार्ड के अवलोकन से उक्त वाद ग्रस्त जमीन में अनुसुचित जाति की जमीन का बेचान सामान्य जाति में होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही दरकार है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा चाही गयी रिलिफ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अत: उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुकुल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पचजारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 10.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट तूंगा मजमे आम में सुनाया गया। [signature] 10.5.18

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास

पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. बरदी बेवा रेवड जाति माली निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशीवाली तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्यारसी पुत्री स्व. रेवड पत्नि भौंरीलाल जाति माली निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशीवाली तहसील बस्सी, जिला जयपुर। व हाल निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. रामप्यारी पुत्री स्व. रेवड बेवा बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशी वाली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर व हाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. गंगू पुत्र स्व. रेवड जाति माली निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशी वाली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. गोकुल पुत्र स्व.नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम तूंगा ढाणी जोशीवाली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार महोदय, बस्सी।
4. उप पंजियक महोदय बस्सी।
5. ग्राम पंचायत तूंगा जरिये सरपंच ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 10.05.2018

मुकदमा नंबर 128 / 12

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 730, 735, 726, 729 स्थित ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के रिकार्ड के अवलोकन से उक्त वाद ग्रस्त जमीन में अनुसूचित जाति की जमीन का बेचान सामान्य जाति में होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही जैरकार है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुकुल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

दस्तखत........ 10.5.18

ओहदा सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मोहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन		

contd —

फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर